न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/2020 **दायर दिनांकः 19/02/2020**

उनवान

1. अंकुर गौतम आयु 16 वर्ष पुत्र पुरूषोत्तम स्वरूप नाबालिग जर्ये वली माता श्यामा गौतम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. श्यामा गौतम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां हाल मुकाम कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम स्वरूप आयु 43 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर.टी.एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय दिनाक : 30/06/2022

न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 ,188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां में प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 22 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के ख0नं0 1943 का रकबा 2.96 है0, का हिस्सा 1/2, खाता संख्या 154 की ख0नं0 914 की 0.44 है0, 932 की 0.08 है0, 936 की 0.29 है0, 983 की 0.03 है0, 1021 की 0.03 है0, 937 की 0.05 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.92 है0 का हिस्सा 1/2 का हिस्सा 1/5 =1/10 तथा खाता संख्या 405 की ख0नं0 926 की 0.04 है0, 930 की 0.03 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.07 है0 का हिस्सा 1/4 का हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 177 की ख0नं0 1943/2037 का रकबा 2.96 है0 का पूरा रकबा दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबन्दी ग्राम हाथी दीलोद संवत 2060 से 2063 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मौरूसी जाय दात है जो

प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई जिसमें वादीगण का क्रम 1 का जन्म से ही तथा वादी क्रम 2 का विवाह के पश्चात से ही हित निहित चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का वंश वृक्ष निम्नानुसार हैः—

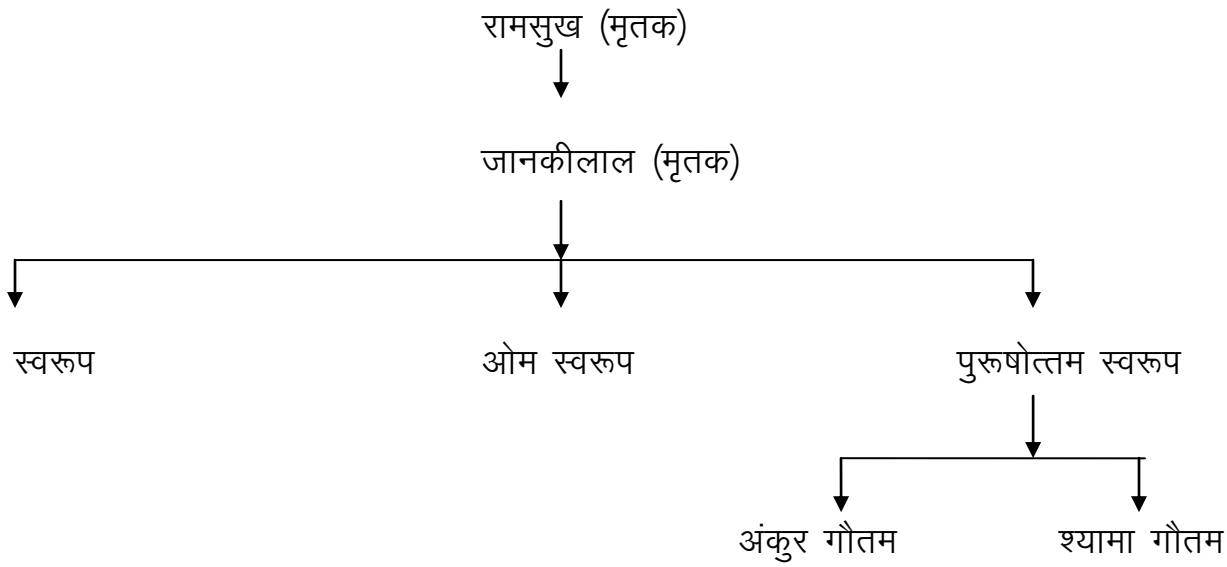

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में मुताबिक सजरा प्रतिवादी क्रम 1 का पैतृक हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी पृथक पृथक हिस्सानुसार दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त संपत्ति विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्म जात हिस्सा निहित चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 बिना किसी आवश्यकता के अपने हिस्से की पैतृक आराजी को बैचान करने पर आमादा है इस बारे में प्रतिवादी क्रम 1 ने विभिन्न व्यक्तियों से बेचान का सौदा करने हेतु वार्ता चला रही है। प्रतिवादी क्रम 1 को काई कानूनी अधिकार नहीं है ि कवह पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई संपत्ति को खुर्द बुर्द करें। वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी में 2/3 हिस्सा निहित चला आ रहा है तथा उक्तानुसार ही वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी में अपना नाम प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा इस आशय की घोषणा करा पाने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गेर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है यदि प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी को रहन बैचान, खुर्द बुर्द कर दिया तो वादीगण को आराजी में प्राप्त चले आ रहे पैतृक अधिकारों से वंचित होना पडेगा जिससे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अतः वादी प्रतिवादी क्रम 1

को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है िकवह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी के हिस्सा 2/3 को रहन बैचान, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद घोषणा खातेदारी का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 दर्ज किया जाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी को बेचान करने की धमकी देने पर दिनांक 08.12.2005 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पुनः आराजी को बेचान करने का सौदा करने पर आमाद होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को वादीगण नं दिनांक 09.12.2005 को धारा 80 सीपीसी0 का रजिस्टर्ड नोटिस दो माह की अवधि का प्रेषित कर दिया है लेकिन चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने की प्रतिक्षा की गई तो प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से की आराजी को रहन बेचान, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द कर देगा जिससे वादीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस की अवधि समाप्त हुऐ ही धारा 80(2) सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद पेश किया गया है। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण का निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावेः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी के हिस्सा 2/3 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा इस आशय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किया जावे। तथा उसी अनुसार कब्जा दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी जो पैतृक संपत्ति है को कही रहन बेचान, हस्तान्तरण अथवा खुर्दबुर्द नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे ।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे

वह वादीगण को प्रदान की जावे।

2. न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा उपस्थित हुऐ एवं प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन एड. द्वारा अण्डर टेंकिग दी गई थी परन्तु वकालतनामा पेश नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा पुनः साक्ष्य गवाह पेश करने के बजाय पूर्व में पेश साक्ष्य को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अतः वादीगण की ओर से पूर्व में पेश किये गये साक्ष्य गवाह को ही पुनः स्वीकार किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 श्यामा गौतम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम, pw2 अंकुर गौतम पुत्र पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम जाति ब्राहमण निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया तथा गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य गवाहो ने बताया कि दीलोद हाथी के ख0नं0 1943 का रकबा 2.96 है0, का हिस्सा 1/2, खाता संख्या 154 की ख0नं0 914 की 0.44 है0, 932 की 0.08 है0, 936 की 0.29 है0, 983 की 0.03 है0, 1021 की 0.03 है0, 937 की 0.05 है0 कुल किता 6 का रकबा 0.92 है0 का हिस्सा 1/2 का हिस्सा 1/5 =1/10 तथा खाता संख्या 405 की ख0नं0 926 की 0.04 है0, 930 की 0.03 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.07 है0 का हिस्सा 1/4 का हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 177 की ख0नं0 1943/2037 का रकबा 2.96 है0 आराजी में वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के स्वामित्व की आराजी में अपना हिस्सा 2/3 के खातेदार कृषक घोषित होने की घोषणा करा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वह हमारे हिस्से की आराजी को हमें शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे।

साक्ष्यगवाह चन्द्रकान्ता शर्मा पिता का नाम बद्रीलाल शर्मा निवासी लाडपुरा कोटा द्वारा बताया गया कि मैं श्यामा गौतम , पुरूषोतम गौतम तथा अंकुर गौतम को जानती हूॅ श्यामा मेरी छोटी बहन है। हमने श्यामा गौतम की शादी पुरूषोतम जी के साथ की थी। जिसके अंकुर गोतम बेटा हुआ था। दोनो पति पतिन के बीच मनमुटाव हो गया था। जिसके कारण श्यामा अपने माता पिता के साथ रहती है। अंकुर गौतम बालिग हो चुका है। पुरूषोतम के हाथी दिलोद में भूमि है जिसमें श्याम व अंकुर को अपने हिस्से की आराजी दिलवायी जावे।

साक्ष्यगवाह अनिल गौतम पुत्र केदार लाल निवासी कोटा द्वारा बताया गया कि मैं अंकुर गोतम, श्यामा गोतम, पुरूषोतम गोतम को जानता हूं क्योंकि मैं श्यामा गौतम के मामा का लडका हूं। श्यामा गौतम की शादी पुरूषोतम के साथ हुई थी। जिससे अंकुर गौतम पेदा हुआ था जो बालिग हो चुका है। पुरूषोत्म गोतम अंकुर व श्यामा को कोई भरण पोषण नहीं देता है और उनके पास अन्य कोई जीवन यापन का साधन नहीं है। पुरूषोतम गोतम की दिलोद हाथी स्थिति आराजी में वादीगण को उनके हिस्से की आराजी दिलवायी जावे।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कोई नये दस्तावेज पेश नहीं किये । पूर्व में पेश दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में बहस सुनी गई।

4. (क) **<u>विवादित आराजी का पैतृक आराजी होना</u>**– वादीगण द्वारा पेश ग्राम हाथी दीलोद की जमाबन्दी संवत 2060–63 के खाता संख्या 177 प्रदर्श 1, खाता संख्या 405 प्रदर्श 2, खाता संख्या 154 प्रदर्श 3 व खाता संख्या 22 प्रदर्श 4, एवं जमाबन्दी संवत 2037–40 प्रदर्श 5 का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में ग्राम हाथी दिलोद के तात्कालिन खाता संख्या 22, 177, 154 व 405 की कृषि आराजी को पैतृक संपत्ति बताया है लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया । सर दिनशामुल्ला की दी प्रिसिंपल ऑफ हिन्दू लॉ के अनुसार **''किसी हिन्दू व्यक्ति के लिए कोई संपत्ति पैतृक संपत्ति होगी यदि वह उसे अविभाजित रूप में चौथी पुरूष पीढी से प्राप्त हुई है''।** वादीगण द्वारा पेश ग्राम हाथी दीलोद की जमाबन्दी संवत 2037–40 से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि खाता संख्या 154 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 भूमि वादी क्रम 1 के पैतृक संपत्ति है। शेष विवादित आराजी के पैतृक संपत्ति होने के संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही रिकार्ड पर उपलब्ध है। **उक्त संबंध में प्रतिवादी क्रम 1 का पूर्व में पेश एवं रिकार्ड पर उपलब्ध जवाब दावा दिनांक 16.11.2006 में प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद क्रम 3, 4 व 5 अस्वीकार किया है अर्थात विवादित संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा पुनः सुनवाई के दौरान विवादित आराजीयों के पैतृक संपत्ति होने के संबंध में कोई नया दस्तावेज पेश नहीं किया है।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पूर्व में जारी आदेश एवं डिक्री 15.07.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 ने ग्राम पंचायत हाथी दिलोद में आयोजित राजस्व लोक अदालत दिनांक 15.07.2015 में विवादित आराजी तात्कालिन खाता संख्या 22, 154, 405 में वादी क्रम 1 की पैतृक संपत्ति सहमति के आधार पर स्वीकार किया था। वादीगण और प्रतिवादी क्रम 1 की आपसी मौखिक सहमति/राजीनामा के

आधार पर राजस्व लोक अदालत केम्प हाथी दिलोद दिनांक 15.07.2015 को उक्त प्रकरण में आदेश व डिक्री जारी की गई थी।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम हाथी दिलोद की जमाबन्दी संवत 2060–63 के अनुसार खाता संख्या 22 किता 1 रकबा 2.96 है0, खाता संख्या 154 किता 6 रकबा 0.92 है0 एवं खाता संख्या 405 किता 2 रकबा 0.07 है0 विवादित कृषि आराजी को वादी क्रम 1 की पैतृक संपत्ति स्वीकार किया जाता है जबकि खाता संख्या 177 ख0नं0 1943/2037 रकबा 2.96 है0 भूमि आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी क्रम 1 की पैतृक संपत्ति साबित नहीं होती है।

(ख) **<u>हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक संपत्ति में हिस्सा :–</u>** चूंकि उपरोक्त विवेचन के आधार पर ही ग्राम हाथी दिलोद के तात्कालिन खाता संख्या 22 किता 1 रकबा 2.96 है0, खाता संख्या 154 किता 6 रकबा 0.92 है0 एवं खाता संख्या 405 किता 2 रकबा 0.07 है0 विवादित कृषि आराजी को वादी क्रम 1 की पैतृक संपत्ति साबित होती है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वादी क्रम 1 अंकुर गौतम का उक्त पैतृक आराजी में जन्म से हक एवं अधिकार निहित होगें।

अतः वादी क्रम 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ग्राम हाथी दिलोद की पैतृक कृषि आराजी तात्कालिन खाता संख्या 22 किता 1 रकबा 2.96 है0, खाता संख्या 154 किता 6 रकबा 0.92 है0 एवं खाता संख्या 405 किता 2 रकबा 0.07 है0 में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का हकदार साबित होता है। इसी प्रकार ग्राम हाथी दिलोद की विवादित तात्कालिन खाता संख्या 177 किता 1 रकबा 2.96 है0 भूमि साक्ष्य के अभाव में पैतृक आराजी साबित नहीं होने के कारण वादी क्रम 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषण कराने का हकदार नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 1 के जीवन काल में इनकी पत्नी वादीया क्रम 2 को इनकी पैतृक संपत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादीया क्रम 2 के ग्राम हाथी दिलोद की उक्त विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार सिद्ध नहीं होता है।

5. इस न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर पूर्व में जारी आदेश व डिक्री दिनांक 15.07.2015 की पालना में खोले गये नामान्तरण संख्या 1519 दिनांक 14.08.2015 का

अवलोकन किया गया। उक्त डिक्री की पालना में वादी क्रम 1 के खाते व हिस्से नियमानुसार आराजी दर्ज हो चुकी है और उक्त दर्ज हिस्सों में यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं मानती है।

6. ऊपर वर्णित बिन्दू संख्या 4 व 5 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में वादीगण का पुनः दर्ज वाद न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में वादीगण का पुनः दर्ज वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हाथी दिलोद तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 1943 रकबा 2.96 है0 में वादी क्रम 1 अंकुर गौतम के खाते 1/4 हिस्सा, ख0नं0 914, 932, 936, 937, 983 व 1021 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 में वादी क्रम 1 के खाते 1/20 हिस्सा तथा ख0नं0 926 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 में वादी क्रम 1 के खाते 1/48 हिस्सा खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू द्वारा, यदि न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की डिक्री दिनांक 15.07.2015 के प्रभाव को अपास्त/निरस्त कर दिया हो, तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 21/2020

उनवान

1. अंकुर गौतम आयु 16 वर्ष पुत्र पुरूषोत्तम स्वरूप नाबालिग जर्ये वली माता श्यामा गौतम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. श्यामा गौतम पत्नी पुरूषोत्तम स्वरूप गौतम जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां हाल मुकाम कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम स्वरूप आयु 43 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहमण निवासी हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर.टी.एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....ग..... रूबरू.....ग.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में वादीगण का पुनः दर्ज वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हाथी दिलोद तहसील अटरू की आराजी ख0नं0 1943 रकबा 2.96 है0 में वादी क्रम 1 अंकुर गौतम के खाते 1/4 हिस्सा, ख0नं0 914, 932, 936, 937, 983 व 1021 कुल किता 6 कुल रकबा 0.92 है0 में वादी क्रम 1 के खाते 1/20 हिस्सा तथा ख0नं0 926 व 930 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 में वादी क्रम 1 के खाते 1/48 हिस्सा खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू द्वारा, यदि न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 06.09.2018 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की डिक्री दिनांक 15.07.2015 के प्रभाव को अपास्त/निरस्त कर दिया हो, तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **30.06.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)